शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय

<u>मैनुअल-VIII:</u> बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय, जो दो या इससे अधिक व्यक्तियों से गठित हों या इसकी सलाह के उद्देश्य से, तथा इस बात के लिए कि इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हों या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हों।

शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। मंत्रालय का नेतृत्व सचिव (एफ एंड पीडी) द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त सचिव (शर्करा) और संयुक्त सचिव (एस आर ए और इम्पैक्स) द्वारा सहयोग दिया जाता है। ये अधिकारी नियमित अंतराल पर निदेशालय के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठक करते हैं और लाभ ग्राहियों को लाभ प्रदान करने के कार्यों में निरन्तर सुधार करने के लिए सलाह देते हैं।